न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

फौजदारी स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र सं0–321 सन् 2026

जमाल खां बनाम श्रीमती अनीषा

दिनॉक 25.06.2026

01. पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई।

02. आवेदक तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

03. आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 3 ए अन्तर्गत धारा आशय का प्रस्तुत किया है कि आवेदक का एक वाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सों एक्ट द्वितीय बुलन्दशहर में सत्र वाद संख्या 691/2020 सरकार बनाम आस मौहम्मद उर्फ बिट्टू आदि तथा एक परिवाद न्यायालय ए०सी०जे०एम० अनूपशहर बुलन्दशहर में परिवाद संख्या 05/2022 श्रीमती अनीषा बनाम जमाल खां विचाराधीन है। उपरोक्त पत्रावालियों को उपरोक्त वाद की सुनवाई व निस्तारण होने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः उपरोक्त के आधार पर ए०सी०जे०एम० अनूपशहर बुलन्दशहर की पत्रावली को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सों एक्ट द्वितीय बुलन्दशहर में स्थान्तरित किये जाने की याचना की गई है।

04. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

05. आवेदक द्वारा उक्त स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे उसके द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में दिये गये कथनों में बल प्राप्त होता हो। आवेदक द्वारा अपनी सहुलियत से वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आशय से लिये गये है। आवेदक द्वारा केवल अपनी इच्छा से उक्त वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कराना चाहता है। आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र में अन्य कोई ऐसा आधार नही लिया गया है जिसके आधार पर उक्त वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जा सके।

6. In **Vijay Pal and others Vs State of Haryana and another 1999(9) SCC 67**, the Hon'ble Supreme Court has said that in absence of any justified reason, it is not proper and legal to exercise power of transfer.

उपरोक्त विवेचन के आलोक में आवेदक द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के आधार पर उक्त वाद स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। तदनुसार उक्त प्रकीर्ण वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

फौजदारी स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र कागज संख्या 3 ए निरस्त किया जाता है। तदनुसार संबन्धित न्यायालय को सूचित किया जाये।

(संजय सिंह– ।)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 25.06.2026

आई 0 डी0 क्रमांक–यू0 पी0–2000